ISSN: 0973-0583

स्वतंत्र भारत में शिक्षा के सुधार के लिए गठित आयोगों एवं शिक्षा नीतियों का अवलोकन

डॉ0 मनोरंजन कुमार भारती

सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विभाग, रामेश्वर लक्ष्मी महतो शिक्षक प्रशिक्षण महाद्यिालय रोसड़ा, समस्तीपुर, बिहार

शोध सार

अंग्रेजों से लम्बी संघर्ष के पश्चात् भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। लम्बी गुलामी के बाद ब्रिटिश दासता से छुटकारा मिला। 26 जनवरी 1950 को भारत अपने संविधान को अंगीकृत किया और भारत एक स्वतंत्र गणराज्य बना। स्वतंत्रता के समय भारत के सामने अनेक चुनौतियाँ थीं। स्वतंत्र भारत के सामने अनेक समस्या विद्यमान थीं। इन सभी समस्याओं में से सबसे जटिल शिक्षा प्रणाली के पुनर्गठन एवं सुधार की थी। अपने सभी नागरिकों को निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना, विज्ञान प्रौद्योगिकी शिक्षा का विस्तार करने, बालिकाओं, वंचित, शोषित व अल्पसंख्यकों के शैक्षिक विकास को सुनिश्चित करने तथा मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने जैसी अनेक समस्या स्वतंत्र भारत के सरकार के सामने थी। भारत सरकार ने इन समस्याओं के समाधान के लिए स्वतंत्रता के तुरंत बाद सार्थक प्रयास प्रारंभ किया। इन्हीं सार्थक प्रयासों का अध्ययन कर हम उन गठित आयोगों एवं शिक्षा नीतियों को जानेंगे। जिनके सार्थक प्रयास ने भारतीय शिक्षा को यहाँ तक पहुँचाया है।

शब्दकोशः- स्वतंत्रता, ब्रिटिश दासता, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, विज्ञान प्रौद्योगिकी, वंचित, शोषित, सार्थक प्रयास, आयोग, शिक्षा नीति, संविधान

Received : 14/6/2025 **Acceptance : 25/7/2025**

प्रस्तावना:

देश का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था कितनी सुदृढ़ है। यदि शिक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट एवं वर्तमान अपेक्षाओं के अनुरूप है तो निश्चित रूप से विकास की सम्भावनाएँ प्रबल होंगी। जिस देश या समाज में साक्षरता जितनी अधिक होगी, वहाँ की जनता उतनी ही जागरूक एवं प्रगतिपथ पर होगी। देश में शिक्षा का स्वरूप और शैक्षणिक व्यवस्था इस बात पर भी काफी हद तक निर्भर करती है कि शिक्षण संस्थाओं की स्थिति कैसी है? भारतीय परिप्रेक्ष्य में स्वतंत्रता के बाद भी शिक्षा की स्थिति अपेक्षानुसार नहीं रही है तथा शिक्षा की स्थिति को बेहतर दिशा के लिए समय-समय पर अनेक प्रयास किए गए हैं।

फ्रांस की क्रांति के नेता दांते का मत था कि "रोटी के बाद शिक्षा जीवन में सबसे मूल्यवान है। रोटी जैविक जीवन के लिए और शिक्षा सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन के लिए अनिवार्य है।"[1] किसी भी देश या समाज की उन्नति के शिखर पर पहुँचने के लिए वहाँ शिक्षा का दीप जलाना आवश्यक। उन्नत आदर्श और व्यवस्थित समाज के लिए साक्षरता की नितांत आववश्यकता है। शिक्षा, ज्ञान और संस्कार दोनों का प्रहरी है। प्राचीनकालीन वेदों, पुराणों, उपनिषदों एवं धार्मिक ग्रन्थों में शिक्षा की महत्ता को बताया गया है और समय-समय पर महान् दार्शनिकों एवं विद्वानों ने इसे विविध प्रकार से रेखांकित करने का प्रयास किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में शिक्षा के विकास का स्वर्णिमकाल प्रारंभ हुआ। भारतीय संविधान के लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया तथा शिक्षा से संबंधी उन उत्तरदायित्वों को केन्द्र तथा राज्यों के मध्य विभाजित किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के तत्काल बाद सन् 1948 में डॉ० राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग तथा सन् 1952 में डॉ०

मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा सन् 1964 में डॉ० कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया गया। सन् 1968 तथा सन् 1986 में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा सन् 1979 में तैयार की गई ड्राफ्ट शिक्षा नीति। सन् 1986 व सन् 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए कार्यान्वयन कार्यक्रम भी तैयार किये गये। सन् 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए कार्यान्वयन कार्यक्रम भी तैयार किये गये। सन् 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ संशोधन भी किया गया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (Time) 2005 का निर्माण किया गया। सन् 2017 में के कस्तुरीरंगन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया जिन्होंने 2019 में नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया जिन्हें अगस्त 2020 को केन्द्रीय समिति ने इसे पास कर दिया। यह सभी प्रयास भारतीय शिक्षा के पुनर्गठन की सार्थकता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त तत्कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की तीव्र आलोचनाएँ की गई तथा उसे भारत की नवीन परिस्थितियों के अनुरूप ढालने की आवश्यकता महसूस की गई। भारतीय विचारकों तथा विद्वानों के अनुसार ब्रिटिश कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली भारत की आवश्यकताओं के अनुकूल न थी तथा इसने भारत की संस्कृति का विनाश किया। यह शिक्षा भारतीयों का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, आध्यात्मिक, उत्पादन तथा आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक तथा आर्थिक विकास करने में पूरी तरह से असफल रही थी। उस काल में शिक्षा की प्रकृति अत्यधिक सैद्धांतिक थी। इससे भारत को औद्योगिक आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं हो सकी। साथ- साथ यह शिक्षा प्रणाली देश के गिने-चुने वर्ग को ही शिक्षा प्रदान कर पायी जबकि जनसाधारण दलित, पिछड़े व निर्धन वर्गों की शिक्षा के साथ-साथ महिलाओं की शिक्षा पूर्णत: उपेक्षणीय रही जिससे निरक्षरता में निरन्तर वृद्धि होती रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त देश की आवश्यकता तथा जनसाधारण की शैक्षिक आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक पुनर्गठन की आवश्यकता पर बल दिया गया। स्वतन्त्रता प्राप्त करने के पश्चात् तात्कालिक सरकार ने संविधान में शिक्षा से सम्बन्धित आयोगों एवं शिक्षा नीतियों को बनाने के संकल्प लिये गये जिससे प्रमुख आयोगों और शिक्षा नीतियों का अवलोकन निम्नलिखित है :-

राधाकृष्णनन आयोग:- स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्रों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती गई परंतु जिस प्रकार की शिक्षा विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में दी जा रही थी, उससे जन साधारण में अत्यधिक असंतोष था। शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य परीक्षा पास करना रह गया। स्वतंत्र भारत की नवीन राजनैतिक तथा सामाजिक परिस्थितियाँ में इस प्रकार की शिक्षा देश के बच्चों की लिए सर्वथा अनुपयुक्त समझी गई और देश तथा वातावरण की आवश्यकताओं के अनुरूप उनके नवनिर्माण की मांग की गई। फलस्वरूप भारत सरकार ने 04 नवम्बर 1948 को डॉ० एस० राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया। इस आयोग को राधाकृष्णन आयोग भी कहा गया।

इस आयोग की गठन का उद्देश्य था भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा की तत्कालीन स्थिति की जांच करके एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा उनके सुधारों और विस्तारों के विषय में सुझाव देना जो देश की वर्त्तमान तथा भावी आवश्यकताओं के अनुरूप हो सके। आयोग ने इस रिपोर्ट में (1) विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य (2) अध्यापक वर्ग की योग्यता, वेतन एवं सेवा शर्त्तो में सुधार (3) अध्यापन का स्तर (4) पाठ्यक्रम- सर्वांगीण विकास करने वाला (5) स्नातकोत्तर प्रशिक्षण एवं अनुसंधान (6) व्यावसायिक शिक्षा (7) धार्मिक शिक्षा (8) शिक्षा का माध्यम (9) परीक्षाएँ (10) छात्र उनके कार्य तथा उनका कल्याण (11) स्त्री शिक्षा (12) ग्रामीण विश्वविद्यालय आदि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुझाव दिए।[2] यदि आयोग की सभी सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाता तो हमारे विश्वविद्यालयों की रूपरेखा पूर्णतया परिवर्तित हो जाती। वे वास्तव में राष्ट्र की बहुमूल्य निधि हो जाते। डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने आयोग के कार्यो की सराहना करते हुए लिखा था "आयोग ने हमारी विश्वविद्यालयीय शिक्षा की प्राप्तियों पर अत्यंत गंभीरतापूर्वक विचार करके एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, और साथ ही अमूल्य प्रस्ताव तथा सुझाव भी दिए हैं।[3]

माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53) :- स्वतंत्र भारत में राजनैतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों में बड़ी तीव्र गति से परिवर्तन होने लगा। अत: उससे सामंजस्य स्थापित करने के लिए माध्यमिक शिक्षा के पुर्ननिर्माण की आवश्यकता अनुभव की गई। जिसके परिणामस्वरूप भारत

सरकार ने 23 सितम्बर 1952 को डॉ० लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गयी। इस आयोग को मुदालियर आयोग के नाम से भी जाता है। इस आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य भारत की तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा के सभी पक्षों की जाँच कर उसके पुर्नगठन एवं सुधार के सम्बन्ध में सुझाव प्रस्तुत करता।

मुदालियर आयोग ने प्रचलित माध्यमिक शिक्षा के अध्ययन के लिए सम्पूर्ण देश का दौरा किया और सम्पूर्ण भारत में प्रचलित माध्यमिक शिक्षा का गंभीर अध्ययन किया, समस्याओं को समझा और काफी सोच, विचार विनियम के उपरांत अगस्त 1953 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके द्वारा भारत की तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करने पर प्रकाश डाला गया। इसके अलावे माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन एवं सुधार के लिए सुझाव दिया। लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि, व्यक्तित्व का विकास, माध्यमिक शिक्षा का पुनः संगठन किया जाए। भाषाओं का अध्ययन पाठ्यक्रमों के विषय, शिक्षण की प्रावैधिक विधियाँ, चरित्र निर्माण की शिक्षा, छात्रों का मार्गदर्शन एवं समुपदेशन, छात्रों का शारीरिक कल्याण परीक्षा एवं शैक्षिक मूल्याकंन, अध्यापकों की उन्नति, अध्यापकों का प्रशिक्षण की समस्या। [4] यदि आयोग के सभी सुझावों को स्वीकार कर लिया जाता, तो हमारी दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली दोषमुक्त हो जाती।

भारतीय शिक्षा आयोग (कोठारी आयोग (1964-66) - प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं शिक्षाविद् डॉ० दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ। जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में प्रचलित शिक्षा व्यवस्था का गठन अध्ययन तथा सूक्ष्म निरीक्षण के उपरांत दोषो के निवारण और सुधार हेतु संस्तुतियाँ प्रस्तुत करना था। आयोग ने काफी परिश्रम कर शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र का गहन अध्ययन और निरीक्षण किया और 21 महीने के उपरान्त अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। जिसमें आयोग ने प्रमुख सुझाव दिये थे :- (1) शिक्षा और राष्ट्रीय लक्ष्य (2) सामाजिक और राष्ट्रीय एकता (3) शिक्षा और प्रजातंत्र की सुदृढ़ता (4) शिक्षा और आधुनिकीकरण (5) सामाजिक नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास किया जाए (6) शिक्षा की संरचना और स्तर (7) शिक्षकों की स्थिति (8) अध्यापक शिक्षा (9) छात्र संख्या और जनेबल (10) शैक्षिक अवसरों की समानता (11) विद्यालय शिक्षा का विस्तार (12) विद्यालय पाठ्यक्रम (13) विद्यालय प्रशासन और निरीक्षण (14) शिक्षण विधियाँ मार्गदर्शन और मूल्यांकन (15) उच्च शिक्षा (16)कृषि शिक्षा (17) व्यवसायिक प्राविधिक और इंजीनियरिंग शिक्षा (13) विज्ञान की शिक्षा (19) व्यस्क शिक्षा। [5]

आयोग ने और भी कई अनेक अच्छे समझाव दिए किन्तु राजनैतिक इच्छाशक्ति के आभाव एवं क्रियान्वयन में शिथिलता के कारण कोई क्रांतिकारी परिवर्तन शिक्षा में नहीं आ पाया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1965- शिक्षा आयोग (1964-65) जिस कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है, शिक्षा पर पहला व्यापक आयोग था। इसमे प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी स्तरों को समाविष्ट किया। कोठारी आयोग की सिफारिशों को साकार करने के लिए शिक्षा पर पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1968 में लायी गयी थी। देश की सामाजिक-सांस्कृतिक व आर्थिक विकास के लिए, शिक्षा के लिए, शिक्षा का पूर्णतयः पुनर्निमाण (NEP-1968 अनुच्छेद-3) की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा (1964-66) द्वारा सिफारिश की गई थी। इसके चरित्र-निर्माण, नैतिक विकास के साथ-साथ सामान्य नागरिकता और राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करने आदि में शिक्षा की सशक्त भूमिका को मान्यता दी।[6]

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 :- 1968 की शिक्षा नीति लागू होने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई है। स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों तथा तकनीकी संस्थानों की बढ़ोतरी भी हुई, पर शिक्षा में मूलभूत परिवर्तन नहीं हो सका। शिक्षा संस्थानों, शिक्षकों और कर्मचारियों की संख्या बढ़ी है पर इनके बहुत अच्छे परिणाम नहीं आ सके। अतः सन् 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर भारतीय संसद ने राष्ट्रव्यापी लंबी बहस के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उसकी कार्ययोजना जारी की। पहली बार शिक्षा में नीति के साथ-साथ क्रियान्वयन की एक पूरी प्रणाली संसाधनों के साथ देने की कोशिश की गई। शिक्षा के लोकव्यापीकरण की नीति का सर्वाधिक प्राथमिक मुद्दा माना गया और प्राथमिक शिक्षा की व्यापक गुणवत्ता के लिए अनेक योजनाएँ प्रारंभ की गईं। जिनमें ऑपरेशन ब्लेक

बोर्ड, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षा का अप्रमाणपत्रीकरण, नवोदय विद्यालय, महिला समानता, बालिका शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण तथा इनके पाठ्यक्रमों में देश की संस्कृतिक परंपराओं और मूल्यों की शिक्षा जैसी अच्छी योजनाएं सम्मिलित की गईं हैं। 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रस्तावना में लिखा है "इतिहास में ऐसे क्षण भी आते हैं जब युगों से चली आई परिपाटी की नई दिशा देनी पड़ती है।" [7]

आचार्य राममूर्ति समिति : आचार्य राममूर्ति ने 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा कर एक विस्तृत प्रतिवेदन दिया। आचार्य राममूर्ति ने व्यावसायिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा को एकीकृत करने, प्रारंभिक बाल्य देखरेख एवं शिक्षा हेतु संविधान के अनुच्छेद-43 में संशोधन, प्राथमिक शिक्षा को एक मूलभूत अधिकार बनाना, विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय छात्रों को स्कूली शिक्षा में सुधार से संबंद्ध करना, उच्चतर शिक्षा शुल्कों में वृद्धि, त्रिभाषा फार्मूला शीघ्र क्रियान्वयन आदि दूरगामी महत्व के अनेक सुझाव दिये थे। इनमें से अधिकांश सुझाव बौद्धिक अधिक और व्यावहारिक कम थे।

संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1992 :- 1989 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 की प्रभावशीलता की समीक्षा करने के लिए सरकार ने आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति ने ''टु वर्डस एनवाइटेड एंड ह्यूमेन सोसाईटी' नाम से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। राममूर्ति समिति का गठन किया, जिसने NPF-1986 में कुछ संशोधन के साथ राममूर्ति समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखा। श्री जनार्दन रेड्डी इस समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। जनवरी 1992 में इस दस्तावेज को "प्रोग्राम ऑफ -1992" के रूप में जाना जाता है। प्रोग्राम ऑफ एक्शन (पीओए-1192) में 23 खण्ड हैं। नीति का मुख्य जोर सामाजिक, आर्थिक, क्षेत्रीय और लैंगिक असमानताओं को दूर करके शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करना था। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना, सामान्य नागरिकता और संस्कृति की भावना, युवा के मस्तिष्क में मूल्यों का विकास और सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। [8]

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 :- भारतीय शिक्षा संरचना और प्रबंधन को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 द्वारा लम्बे समय। लगभग-34 वर्ष के लिए निर्देशित किया गया। इस बीच वैश्विक स्तर पर बहुत सारे बदलाव हुए हैं और साथ ही शिक्षा में 'भारत केन्द्रित' नीति कि आवश्यकता के बारे में देश में बहस भी हुई। वर्ष 2015 में भारत ने यूनेस्को के सतत् विकास के लक्ष्य-2030 में अपनी सहमति दर्शाते हुये उसे अपनाया। इसमें परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा-4.2030 तक "सभी के लिए समावेशी और न्यायसंगत की शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवनपर्यंत सीखने के अवसरों को बढ़ावा देने की मांग करता है। ऐसी सभी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए 2015 में श्री टी०एस० सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। समिति ने विभिन्न हितधारकों से व्यापक विचार-विमर्श किया और ग्राम-पंचायत स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक विस्तृत चर्चा हुई। शिक्षा नीति निर्माण की अपनी तरह का पहला प्रयोग था जिसमें नीचे से ऊपर की ओर चर्चा का दृष्टिकोण अपनाकर नीति के निर्माण से पहले विभिन्न हितधारकों के विचारों को एकत्र किया गया। उन पर व्यापक बहस की गई और एक मसौदा तैयार किया गया। जब मसौदे को चर्चा के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया तो बहुत सारे मुद्दे सामने आए। उन पर पुनर्विचार करने के लिए जून 2017 में डॉ० के० कस्तुरीरंगन की अध्यक्षता में एक नई समिति गठन किया गया था। कस्तुरीरंगन समिति ने समाज के विभिन्न वर्गो द्वारा उठाए गए सभी सुझावों/आपत्तियाँ पर पुनः विचार किया और नीति का एक मसौदा तैयार किया जो 31 मई 2018 को फिर से सार्वजनिक किया गया और आगे के सुझाव आमंत्रित किए गए। सुझावों की समीक्षा करने के बाद समिति ने नीति को अंतिम रूप दिया और देश में जुलाई 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के नाम से अपनी नई शिक्षा नीति प्राप्त की।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का दर्शन भारतीय मूल्यों से ओतप्रोत एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो सभी को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराकर भारत को एक वैश्विक, महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और न्यायसंगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। नीति में परिकल्पना है कि हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षाविधियाँ छात्रों के बीच मौलिक कर्त्तव्यों और संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान की गहरी भावना विकसित करे। देश के साथ जुड़ाव और बदले

विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्वों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करें। नीति की दृष्टि में छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में, वरन व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में भी तथा साथ ही ज्ञान कौशल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए, जो मानवाधिकारों स्थायी विकास और जीवनयापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो, ताकि वे सही अर्थों में वैश्विक नागरिक बन सके। [9]

नि:सन्देह स्वतंत्रता के उपरानत भारत में शिक्षा के विकास के एक नये युग का सूत्रपात हुआ। यद्यपि शिक्षा के क्षेत्र में वे सभी उपलब्धियाँ प्राप्त नहीं हो सकी हैं जो स्वतंत्र भारत में अपेक्षित थीं फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में अनेक उल्लेखनीय कार्य किये गये हैं। वास्तव में भारतीय शिक्षा के ज्ञात इतिहास में शिक्षा तथा इसकी समस्याओं पर इतना अधिक ध्यान पहले कभी नहीं दिया गया था जितना ध्यान स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त दिया गया है।

निष्कर्ष:

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय शिक्षा के विकास की मात्रा में कई पड़ाव आए हैं। परंतु मंजिल अभी काफी दूर नजर आती है। सार्वजनिक शिक्षा के लक्ष्य में भी अभी हम काफी दूर है। अत: राजनैतिक इच्छा शक्ति, शिक्षा के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता केंद्र स्तर पर बजट का कम से कम 10 प्रतिशत आवंटन रोजगार-परक शिक्षा का प्रभावी क्रियान्वयन, मानवाधिकार की शिक्षा नई चुनौतियों का सामना करने के लिए दूरदृष्टि एवं तदनुसार रणनीति की आवश्यकता है तभी हमारी आगामी पीढ़ी इक्कीसवीं सदी में आत्मविश्वास एवं आत्मगौरव के साथ प्रवेश कर सकेगी। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग एवं शिक्षा नीतियों की व्यवस्थाएँ एवं क्रियान्वयन उपयोगी होने की आशा है और अंत में आज आवश्यकता है कि हमारी शिक्षा का विकास इस तरह से हो कि हम सभी भारतवासी मानव मूल्यों को समझें, उनकी अवहेलना न करें। मानव का मानव से परस्पर सहयोग हो, तथा मानव, मानव को घृणा की दृष्टि से न देखें। जो सिद्धांत अति रूढ़िवादी तथा अमानवीय है, उनका परित्याग करें। शिक्षा का उद्देश्य हो कि हम अंधानुकरण न करें, अपितु अपने तर्क, वितर्क द्वारा सत्य व कल्याण बात को ग्रहण करें।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :

1. चौबे, एस०पी०-1993 लैंडमार्कस इन दी हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडियन एजुकेशन। विकास पब्लिशिंग हा0प्र0लि0, नई दिल्ली-पृ. 32
2. मासिक पत्रिक-मूल प्रश्न-जुलाई-सितम्बर- 1999, पृ0 सं-35।
3. कुमार, डॉ० मोहित-स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में गठित शिक्षा आयोग & HSDA publication-25 पृ0सं0-55
4. मासिक पत्रिका मूल प्रश्न जुलाई-सितम्बर-1999, पृ0 सं0-35
5. शिक्षा आयोग-1964-66 की रिपोर्ट।
6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1968 के रिपोर्ट में प्रमुख सिफारिश।
7. शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति (NPE) &1986 रिपोर्ट की संस्तुतियाँ।
8. प्रोग्राम ऑफ एक्शन (पीओए)-1992 रिपोर्ट
9. https:// www.educaton.gov.in/sittes/files/mhrd/files/NEP-2020 hindipdf-पृ0 सं0-9